कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0—मरार, जिला—रामगढ़ पिन—829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in Mobile No- 8987790306

पत्रांकः— 295 दिनांकः— 20/2/23

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :— **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग—NH-23 and 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे0 (रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 28.9869 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः— **1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक— 94 दिनांक 02.02.2023**
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का ज्ञापांक—298 दिनांक 07.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत जैना मोड़—गोला—ओरमांझी सेक्शन के चौड़ीकरण/फोरलेन के तहत रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 28.9869 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा 5 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। जिसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् हैः—

क्र0 सं0	पृच्छा	मंतव्य
1	बोकारो वन प्रमंडल में कुल 59.6084 हे0 जंगल—झाड़ उपयोग हेतु उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक 2709/(रा) दिनांक 10.10.2022 द्वारा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को अग्रसारित किया गया है, परन्तु आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है।	विषयगत पृच्छा रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित नहीं है।
2	उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक— 1439/क0, 1440/क0 दिनांक 22.10.2022 एवं पत्रांक 1447/क0 दिनांक 28.10.2022 द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र प्राप्त है साथ ही इस क्रम में आमसभा/ ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त पृच्छा के अनुपालन के क्रम में उपायुक्त, रामगढ़ के ज्ञापांक—164 दिनांक 07.02.2023 द्वारा रकबा 21.0144 हे0 हेतु FRA प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (Form-I) में समर्पित किया गया है, जो

	प्रति संलग्न है। परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 28.9869 हे0 वन भूमि हेतु FRA प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है।	**अनुलग्नकः–1** के रूप में संलग्न है। शेष भूमि रकबा–7.9725 हे0 (मौजा–बोंगई एवं पांचा) हेतु FRA प्रमाण पत्र की वचनबद्धता संलग्न की गई है। **अनुलग्नकः–2**
3	उपायुक्त बोकारो से FRA प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं है इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता दी गई है।	विषयगत पृच्छा रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित नहीं है।
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा अभियुक्ति दर्ज करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर Website पर अपलोड नहीं किया गया है।	विषयगत पृच्छा रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित नहीं है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मात्र वनभूमि का ही KML File अपलोड किया गया है। गैर–वनभूमि का KML File अपलोड नहीं किया गया है जबकि इस परियोजना हेतु प्रस्तावित संपूर्ण वनभूमि एवं गैर वन भूमि का KML File अपलोड किया जाना आवश्यक है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन के क्रम में सूचित किया है कि वन भूमि एवं गैर वन भूमि हेतु KML File परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

Nitish 20/2/23

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।
20/02/23